न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : शैलेश सुराणा, RAS.

पत्रावली संख्या : 39/17 (विविध प्रार्थना पत्र)

1. श्री मदन सिंह पिता स्व0 श्री प्रताप सिंह रावल निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर हाल बी 33 अम्बेडकर कॉलोनी, से.न. 14 उदयपुर जिला उदयपुर (राज0)

................प्रार्थी

बनाम

1. श्री राजेश रावल पिता श्री भंवर सिंह रावल निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (रा0)
2. श्रीमती ब्रजकूंवर पत्नी श्री देवी सिंह रावल निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (रा0)
3. श्रीमती राजकूंवर रावल पत्नी श्री विजय सिंह रावल निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (रा0)
4. श्री देवी सिंह रावल पिता श्री प्रताप सिंह रावल निवासी गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (रा0)

...............विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री मुकेश कुमार गोपावत , अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :28.11.2019

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा गोटीपा पटवार हल्का गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 मे खाता नम्बर 186 पर आराजी नम्बर 211/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 212/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 214/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से अंकित है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रेकर्ड में वर्णित अनुसार

प्रार्थी खातेदार काश्तकार होकर स्वामी अधिकारी एवं आधिपत्यधारी है जिसके पूर्व दिशा आम रास्ता एवं पश्चिम दिशा में विपक्षी राजेश रावल, ब्रजकूंवर रावल, उत्तर दिशा में राजकूंवर रावल, विजय सिंह रावल एवं दक्षिण में देवी सिंह रावल की भूमि है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में प्रार्थी की थूहर की बाड़ बनी हुई है एवं पश्चिम में टूटी फूटी बाड़, उत्तर दिशा एवं दक्षिण दिशा पाली है।

2. उक्त वर्णित भूमि के पड़ोस में विपक्षीगण की भूमि आ गयी है ओर प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित कृषि भूमि की पत्थरगड़ी कराना चाहता है क्योंकि पक्षकारों में आए दिन सीमा सम्बन्धी विवाद की संभावना है जिससे प्रार्थी विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर के जरिये पक्की पत्थरगड़ी कराना चाहता है। इस हेतु प्रार्थी ने विपक्षीगण से दिनांक 28.06.2017 को कहा तो उन्होने कानूनी कार्यवाही कराने को कहा जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने पर विवश होना पड़ा है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थी की खातेदारी की होकर राजस्व नक्शा ट्रेस में पेमुद है।

3. बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्ध विपक्षीगण दिनांक 28.06.2017 को पैदा हुआ जब कि प्रार्थी ने विपक्षीगण को पत्थरगड़ी कराने के लिए कहा, तब से निरन्तर जारी है।

4. अतः निवेदन है कि उक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में तहसीलदार वल्लभनगर के जरिये पत्थरगड़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात नक्शा ट्रेस प्रतिलिपि एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 पेश की गई है ।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ की गई । विपक्षीगण को जरिये नोटिसेज तलब किया गया । विपक्षी संख्या 3 को सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध दिनांक 03.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। इसी प्रकार विपक्षीगण संख्या 1, 2, 4 के विरूद्ध भी सूचना होने के पश्चात भी अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध भी दिनांक 23.10.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

7. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया, जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा गोटीपा पटवार हल्का गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 मे नकल जमाबंदी 2052 से 2055 के अनुसार खाता नम्बर 186 पर आराजी नम्बर 211/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर

212/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 214/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि प्रार्थी के एकल खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की है। प्रार्थीगण स्वयं खातेदार काश्तकार है इसलिये प्रार्थीगण को अपनी उक्त वर्णित खातेदारी आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार वल्लभनगर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गोटीपा पटवार हल्का गोटीपा तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज0 मे नकल जमाबंदी 2052 से 2055 के अनुसार खाता नम्बर 186 पर आराजी नम्बर 211/1 रकबा 1 बीघा, आराजी नम्बर 212/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी नम्बर 214/2 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में करवायी जावे । फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें ।

9. तहसीलदार वल्लभनगर को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(शैलेश सुराणा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Surana
Date: 2019.11.30 00:33:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: